छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर-19 नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर

www.cghb.gov.in

!! संपदा प्रबंधन !!

क्रमांक.....12...../2019 आदेश दिनांक 04/10/2019

विषयः- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के स्ववित्तीय योजनांतर्गत भवन आबंटियों को बकाया राशि जमा करने पर विलंबित अवधि की ब्याज राशि में छूट एवं भाड़ाक्रय योजनांतर्गत आबंटियों को बकाया राशि जमा करने पर दण्ड ब्याज में छूट दिए जाने बाबत्।

—— 00 ——

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा स्ववित्तीय योजना तथा भाड़ाक्रय योजनांतर्गत भवनों का आबंटन किया गया है अनेक आबंटियों द्वारा विभिन्न कारणों से भवनों के किश्तों का भुगतान मण्डल को समय पर नही किया जा सका है, जिस कारण से उन पर अतिरिक्त ब्याज राशि विलंबित ब्याज/दण्ड ब्याज के रुप में भारित की गई है। राशि के वृद्धि होने से आबंटियों द्वारा पूर्ण बकाया का भुगतान करना संभव नही हो पा रहा है। अतः अतिरिक्त भारित ब्याज राशि में छूट दिये जाने का प्रस्ताव संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

स्ववित्तीय योजना :- मण्डल द्वारा स्ववित्तीय योजना अंतर्गत निर्माण कार्य की अवधि में भवन की किश्त एवं भुगतान की तिथि निर्धारित कर भवनों का आबंटन किया जाता है। भवन के आबंटियों द्वारा यदि समय पर किश्त जमा नही की जाती है तो निर्माण कार्य की प्रगति एवं मण्डल की निधि तरलता प्रभावित होती है। हितग्राही द्वारा समय पर किश्त की राशि जमा नही करने पर मण्डल द्वारा विलंबित अवधि का ब्याज 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से भारित किया जाता है, जिससे बकायादारों से वसूल की जाने वाली राशि में वृद्धि हो रही है एवं हितग्राहियों को भी भुगतान करने में समस्या हो रही है। मण्डल द्वारा स्ववित्तीय योजनांतर्गत दीर्घ बकाया राशि वसूल किए जाने की दृष्टि से विलंब अवधि के ब्याज में छूट देकर वसूली हेतु कार्यवाही किया जाना है, जिससे मण्डल की निधि तरलता सुदृढ़ हों सके।

भाड़ाक्रय योजना :- मण्डल द्वारा भाड़ाक्रय योजना के अंतर्गत मुख्यतः अल्प एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों को भवन आबंटित किए गए है। योजना का उद्देश्य हितग्राहियों को 5/10/15 वर्षो की किश्त निर्धारित कर भवन उपलब्ध कराना है, किन्तु किसी कारणवश आबंटी द्वारा भवन की किश्त समय में जमा नही करने से बकाया राशि में ब्याज भारित किए जाने पश्चात् बकाया राशि अत्याधिक बढ़ गई है। मण्डल की लंबे समय से अवरुद्ध राशि वसूल किए जाने हेतु दण्ड ब्याज में छूट प्रदान करने हेतु कार्यवाही किया जाना है, जिससे मण्डल की वित्तीय तरलता में सुधार हों सके।

क्रमशः-02

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण के 60 वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 16/09/2019 के पद संख्या कमांक 09 के पारित संकल्प कमांक 1757/09/60/2019 द्वारा संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर दीर्घ विचारोंपरांत सर्वसम्मिति से निर्णय लेते हुए स्ववित्तीय योजनांतर्गत एच.आई.जी./एम. आई.जी./एल.आई.जी. तथा ईब्ल्यू.एस. भवनों के बकायादारों को संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त (One Time Settlement) जमा करने पर विलंबित अवधि के ब्याज में छूट तथा भाड़ाकय्र योजनांतर्गत संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर दाण्डिक ब्याज राशि में छूट दिये जाने की अनुसंशा करते हुए प्रकरण शासन को प्रेषित कर मंत्रीमंडल से अनुमोदन प्राप्ति पश्चात् आगामी कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया गया।

(आदेशानुसार)

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नवा रायपुर
अटल नगर जिला-रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्र/879/स.प्र.शा./मु.सं.अ./मुख्या/फा.नं.- /19 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04/10/2019

प्रतिलिपिः-

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
2. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त महोदया, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
4. अपर आयुक्त,(जे/व्ही/पी) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
6. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
7. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त-रायपुर/वृत्त-नवा रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/ अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ।

8. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
9. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग- 1, 2, 3, 4, रायपुर, राज. परि. संभाग-1/02 अटल नगर, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, जगदलपुर, कोण्डागांव, बिलासपुर, रायगढ़, अम्बिकापुर, कोरिया, कोरबा की ओर सूचनार्थ।
10. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01, 02, 03, 04, 05 रायपुर, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, जगदलपुर, कोण्डागांव, बिलासपुर, रायगढ़, अम्बिकापुर, कोरिया, कोरबा की ओर सूचनार्थ।
11. आई.टी.शाखा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
12. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

(आदेशानुसार)

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नवा रायपुर
अटल नगर जिला-रायपुर (छ.ग.)